न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./138/2012/बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. नैनसिंह पुत्र रणजीतिसिंह वगै. **बनाम** 1.राजा का मु. ईश्वरसिंह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 4/3 व 3/1 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 04.12.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। तामिल फर्जी तरीके से कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट की सम्यक तामिल नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायायल में बंटवाड़ा सहमति से बताया गया है जबकि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.01.2012 को लंगेरा गांव में भूमि का बंटवाड़ा करवाने के लिये पदमसिंह पुत्र राजदानसिंह हल्का पटवारी व आर आई को लेकर हमारे कब्जासुद व ढाणी वाली भूमि पर आया और हल्का पटवारी के मार्फत हम अपीलार्थीगण को यह बताया कि यह भूमि हमारे खाते की है। अपीलार्थीगण दिनांक 11.01.2012 को बाड़मेर आये व सारी जानकारी प्राप्त की एवं नकले मांगी जो दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील तकनीकी बिंदु पर खारिज नहीं करके गुणावगुण पर किया जावे जिस से अपीलांट के मेरा हित प्रभावित होता है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 4/3 व 3/1 से 6 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 25.09.1991 की आदेशिका में बावजूद तामिल अपीलांट अनुपस्थित। अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद 18 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसका कारण मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 14/2002 में शंकरसिंह द्वारा दावा पेश किया इसमें अपीलांट पक्षकार रूप में संयोजित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने चैनसिंह सोढा को वकील नियुक्त किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2018-19(Supp.) Page 72
RLW 2013(2) Page 1096
RRT 2011(2) Page 786
RRT 2016-17(Supp.) Page 631
RRT 2017(1) Page 117

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के सम्मन स्वयं से तामिल संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.1991 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को लेकर एक राजस्व वाद संख्या 14/2002 पेश हुआ जिसमें अपीलांटगण ने अधिवक्ता चैनसिंह सोढा को वकील नियुक्त किया गया फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी कैसे नहीं इसको अपीलांटगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। <u>अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।</u> अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 18 वर्ष 03 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/1991 बअनवान राजा बनाम रूगसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.1993 को यथावत रखा जाता है।

04/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathu Singh Rathore
Date: 2019.12.05 18:16:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: